

# समाहरणालय, पटना ।

(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (क10)  
फैक्स न०-0612-2218900  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

7/10-2-2014  
आवेदक डॉ० बिनोद कुमार, पिता—श्री सिया राम प्रसाद, सा०—न्यू बंगाली टोला, पो०—  
जी०पी०ओ०, थाना—जक्कनपुर, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र  
अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—413/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस  
अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—181/गो०, दिनांक—27.02.2012 द्वारा आवेदक  
के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में अग्रसारित किया गया है।  
अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, जक्कनपुर के जाँच प्रतिवेदन में आवेदक  
को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु यथेष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके आलोक में  
आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गयी है। थानाध्यक्ष, जक्कनपुर द्वारा  
प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक डॉक्टर हैं और अपना नर्सिंग होम का संचालन करते हैं।  
तदोपरान्त आवेदक के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।  
आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'हाँ' प्रतिवेदित किया गया है, लेकिन विशेष सुरक्षा  
भय के संबंध में कोई विशेष तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की  
कंडिका—10 के बिन्दु 'क', 'ख' एवं 'घ' पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र  
अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।


अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र  
अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख  
पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते  
हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक  
एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय  
पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक डॉ० बिनोद  
कुमार, पिता—श्री सिया राम प्रसाद, सा०—न्यू बंगाली टोला, पो०—जी०पी०ओ०, थाना—  
जक्कनपुर, जिला—पटना के आवेदित एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र को अस्वीकृत  
किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।